

# Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 86-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 13, 2025 (VAISAKHA 23, 1947 SAKA)

## हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा)

# अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2025

संख्या 02/04/2021—2 बी0 एण्ड आर0 (डब्ल्यू०).—ठेकेदार के लिए पंजीकरण—सह—सूचीकरण नियम—2024, हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड के खंड 14.2.1 के अनुसार ।

# विषय सूची

1.	प्रस्तावना
	1.1 शीर्षक
	1.2 उद्देश्य
2.	परिभाषाएं
3.	प्रयोज्यता
4.	सभी प्रकार के कार्यों के लिए ठेकेदार के पंजीकरण के लिए वर्ग
5.	शोधन—क्षमता प्रमाण पत्र
6.	पंजीकरण–सह–सूचीकरण शुल्क
7.	वापसीयोग्य जमा
8.	पंजीकरण–सह–सूचीकरण और नवीनीकरण की वैधता की अवधि
9.	इंजीनियरिंग कार्यों के लिए पंजीकरण–सह–सूचीकरण हेतु योग्यता
10.	ठेकेदारों के पंजीकरण-सह-सूचीकरण के आवेदन से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी और समय-सीमा
11.	पंजीकरण–सह–सूचीकरण आवेदन के निपटान के लिए समय–सीमा
12.	पंजीकरण–सह–सूचीकरण के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची
13.	पंजीकरण–सह–सूचीकरण प्रमाण–पत्र
14.	वापसी योग्य जमा की वापसी
15.	ठेकेदार के दायित्व
16.	अनुशासनिक कार्रवाईयां और योग्यताएं
17.	अपील का अधिकार
	कोई आवेदक जो पंजीकरण–सह–सूचीकरण प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित है या वर्जन या अपंजीकरण करने से व्यथित है, विभाग के प्राधिकारी को अपील कर सकता है जो या तो पंजीकरण आवेदन अस्वीकृत, प्रवर्ग पदावनत करता है या नीचे दिए गए अनुसार वर्जन/अपंजीकरण करने का आदेश पारित करता है।
18.	अनुबन्ध – ए 1
19.	अनुबन्ध – ए 2
20.	अनुबन्ध – बी

# परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द

सीए चार्टर्ड एकाउंटेंट सीई मुख्य अभियंता ईई कार्यकारी अभियंता ईएमडी धरोहर राशि जमा जीओआई भारत सरकार जीओएच हरियाणा सरकार जीएसटी

एचईडब्ल्यूपी हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल

आईटीआर आयकर विवरणी

आईएसआई भारतीय मानक संस्थान

आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

एलएलसी लिमिटेड दायित्व कंपनी आईटी सूचना प्रौद्योगिकी

एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

एनआईटी निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस

एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

पैन स्थायी खाता संख्या पीबीजी प्रदर्शन बैंक गारंटी एसई अधीक्षण अभियंता

टैन कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या

## 1. प्रस्तावना

## 1.1 शीर्षक

ये नियम ''हरियाणा ठेकेदार 'पंजीकरण—सह—सूचीकरण नियम—2024'' कहे जा सकते है तथा यह अधिसूचना / सरकार से अनुमोदन की तिथि से लागू होगे तथा हरियाणा ठेकेदार पंजीकरण नियम, 2022 के स्थान पर रखे जाएंगे।

## 1.2 उद्देश्य

इनका उद्देश्य पंजीकृत—सह—सूचीकरण ठेकेदारों को धरोहर राशि जमा करने से छूट मुहैया करना तथा कारबार करने की सुविधा को सरल बनाना है। "हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच०ई०डब्ल्यू०पी०)\*\* का उद्देश्य ठेकेदारों को पारदर्शिता और पहुंच को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो मुहैया करना है।

# पंजीकृत-सह-सूचीकरण ठेकेदार निम्नलिखित लाभों से लाभान्वित होंगे :--

- 1. पंजीकृत—सह—सूचीकरण ठेकेदार को हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच०ई०डब्ल्यू०पी०) पर तैयार निविदाओं के लिए धरोहर राशि का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
- 2. विभाग तथा ठेकेदार के लिए वन स्टॉप सूचना मंच।
- 3. पंजीकरण–सह–सूचीकरण, नवीनीकरण, निविदा, कार्यों के आबंटन आदि के संबंध में ठेकेदारों के लिए पारदर्शिता और ऑनलाइन सरलीकरण में सुधार।

## 2. परिभाषाएं

- 1. "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता" से अभिप्राय हैं, बाध्यकारी करार के लिए संगठन को प्राधिकृत करने हेतु शक्तियों से निहित (स्पष्टतया, अस्पष्टतया या संचालन के माध्यम से) बोलीदाता का प्रतिनिधि/अधिकारी। सम्बन्धित बोली देने वाली फर्म के सक्षम प्राधिकारी से मुख्तारनामा (पी०ओ०ए०) वाला हस्ताक्षर अधिकारी/प्राधिकारी भी कहा जाता है।
- 2. **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्राय है, प्राधिकारी या अधिकारी जिसे खरीद से संबंधित मामले में निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।
- 3. "मुख्य अभियंता" से अभिप्राय है, हरियाणा के इंजीनियरिंग विभाग का मुख्य अभियंता।
- 4. **''वर्ग'**' से अभिप्राय है, वर्ग जिसमें ठेकेदार पंजीकृत–सह–सूचीकरण किया गया है।
- 5. **"कंपनी"** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी।
- 6. **''कॉर्पोरेट निकाय''** से अभिप्राय है, कंपनी अधिनियम, 1956, हरियाणा कंपनी अधिनियम–1956 या हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत निगमित निकाय।
- 7. "फर्म" से अभिप्राय है, "व्यक्ति जिसने एक दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है, को व्यक्तिगत रूप से "साझेदार" और सामूहिक रूप से ''एक फर्म'' कहा जाता है, और जिस नाम के तहत उनका व्यवसाय किया जाता है उसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(23)(झ), भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अनुसार ''फर्म नाम'' कहा जाता है।
- 8. **"विभाग"** से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार का हरियाणा इंजीनियरिंग विभाग (एच०ई०डब्ल्यू०पी० पोर्टल के बोर्ड पर)।
- 9. **''धरोहर राशि जमा या ई एम डी''** से अभिप्राय है, निविदा के साथ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक धनराशि।
- 10. "मुख्य अभियन्ता" से अभिप्राय है, हरियाणा के इंजीनियरिंग विभाग का मुख्य अभियन्ता।
- 11. "कार्यकारी अभियंता" से अभिप्राय है, इरियाणा इंजीनियरिंग विभाग के प्रभाग का कार्यकारी अभियंता।
- 12. **"श्रम तथा निर्माण सोसाइटी"** से अभिप्राय है, सिविल कार्य करने के लिए हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत श्रमिक और निर्माण सोसाइटी है।
- 13. "एल०एल०पी०" से अभिप्राय है, सीमित देयता भागीदारी है जहां भागीदारी को दयता एल एल पी में उनके सहमत योगदान तक सीमित है।
- 14. **"पैन"** से अभिप्राय है, आयकर प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी व्यक्तिगत लेखा संख्या।

- 15. **"सी आई एन"** से अभिप्राय है, कॉर्पोरेट पहचान संख्या एक अनन्य पहचान संख्या है, जिसे भारत सरकार के एम०सी०ए० (कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय) के तहत विभिन्न राज्यों के आर ओ सी (कंपनियों के रिजस्ट्रार) द्वारा सौंपी गई है। कॉर्पोरेट पहचान संख्या एक 21 अंकों का अल्फ़ा—न्यूमेरिक कोड है जो पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में स्थित आर०ओ०सी० पंजीकृत होने पर देश के भीतर निगमित कंपनियों को जारी किया जाता है।
- 16. **"डी आई एन"** से अभिप्राय है, निदेशक पहचान संख्या की अनन्य पहचान संख्या है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 153 और 154 के अनुसार कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को आबंटित की जाती है।
- 17. "जी एस टी" से अभिप्राय है, भारत सरकार के संबंधित विभाग द्वारा जारी माल तथा सेवा कर संख्या।
- 18. **"सचिव"** से अभिप्राय है, सरकार का सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव;
- 19. "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार:
- 20. **"अधीक्षण अभियंता"** से अभिप्राय है, परिमण्डल या हरियाणा इंजीनियरिंग विभाग का मुख्यालय, जैसा भी स्थिति हो, का अधीक्षण अभियंता;
- 21. **"निविदा"** से अभिप्राय है, ठेकेदार द्वारा विभाग को कार्य निष्पादित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के जवाब में प्रस्तुत प्रस्ताव;
- 22. **"निविदा सीमा"** से अभिप्राय है, वह अधिकतम सीमा जिस तक पंजीकृत—सह—सूचीकरण ठेकेदार निविदा के लिए पात्र है;
- 23. "ठेकेदार का पंजीकरण—सह—सूचीकरण" से अभिप्राय है, इंजीनियरिंग विभाग कार्यों के लिए उपयुक्त तथा सक्षम ठेकेदारों की तैयार सूची में हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच०ई०डब्ल्यू०पी०) ठेकेदारों का सूचीकरण / उसी समय पर, ऐसे ठेकेदार जो पंजीकृत— सह—सूचीकरण है धरोहर राशि जमा (ई०एम०डी०) की छूट से लाभान्वित होंगे।
- 24. "पंजीकरण–सह–सूचीकरण प्राधिकारी" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी जिसे हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल पर पंजीकरण के लिए ठेकेदारों के आवेदन के सम्बन्ध में निपटान करने और निर्णय लेने की शक्तियां निहित की गई है।

## 3. प्रयोज्यता

हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच०ई०डब्ल्यू०पी०) पर पंजीकृत ठेकेदारों के लिए इंजीनियरिंग विभागों के कार्यों हेतु उपयुक्त और सक्षम ठेकेदारों की सूची तैयार करनी आशयित है तािक निविदाओं के समय पर ठेकेदारों के प्रत्यय—पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यकता और समय को कम किया जा सके। वहीं, जो ठेकेदार पंजीकृत—सह—सूचीकरण है, उन्हें पेशगी रािश जमा (ई०एम०डी०) में छूट का लाभ मिलेगा। कोई भी भारतीय व्यक्ति, एकल स्वामित्व वाली फर्म, सांझेदारी फर्म, लिमिटेड दाियत्व सांझेदारी, लोक लिमिटेड कंपनी या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी इन नियमों के तहत इंजीनियरिंग विभाग, हिरयाणा में ठेकेदार के रूप में पंजीकरण— सह—सूचीकरण के लिए आवेदन कर सकती है, बशर्ते कि पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें पूरी हों। पंजीकृत—सह—सूचीकरण ठेकेदारों को अपने पंजीकरण— सह—सूचीकरण की वैधता के दौरान इसमें नीचे दिए गए सभी नियमों और समय—समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन करना होगा :—

- (i) हरियाणा सरकार के इंजीनियरिंग विभागों में कार्यों के लिए बोली जमा करने के इच्छुक प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल ''https:/works/haryana/gov.in'' पर ठेकेदार आई डी सृजित करनी होगी। ठेकेदार आई डी सृजन करने के बाद, ठेकेदार ई०एम०डी० की छूट का लाभ लेने के लिए एच०ई०डब्ल्यू०पी० पर पंजीकरण—एवं—भरती के लिए भी आवेदन कर सकता है।
- (ii) आवेदन प्रारूप लॉगिन लेखा बनाने के बाद "https:/works/haryana/gov.in" पर उपलब्ध होगा।
- (iii) ठेकेदारों द्वारा एच०ई०डब्ल्यू०पी० पर लॉगिन खाता बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- (iv) एच०ई०डब्ल्यू०पी० पर पंजीकृत—सह—सूचीकरण नहीं होने वाले ठेकेदार भी निविदा दस्तावेज की किसी विशेष अपेक्षा के अध्यधीन निविदा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ई०एम०डी० छूट का लाभ नहीं मिलेगा और ठेकेदार किसी विशेष कार्य में विनिर्दिष्ट अनुसार राशि के लिए बोली के हिस्से के रूप में ई एम डी प्रस्तुत करेंगे।
- (v) यदि एच०ई०डब्ल्यू०पी० पर निचले वर्ग में पंजीकृत—सह—सूचीकरण ठेकेदार और उच्च श्रेणी की निविदाओं में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से पात्र हैं, तो ठेकेदार ई०एम०डी० का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो पंजीकृत—सह—सूचीकरण ठेकेदार के लिए लागू नहीं है।
- (vi) सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी या वैधानिक संगठन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कोई भी कर्मचारी /आउटसोर्सड कर्मचारी पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए, सरकारी कंपनी में सहकारी सोसाइटी, श्रम और निर्माण सोसाइटी या कॉर्पोरेट निकाय शामिल हैं, जो नियमित आधार पर किसी भी सरकारी स्त्रोत से वित्तीय अनुदान प्राप्त करता है।

- (vii) कोई भी व्यक्ति, या कोई फर्म / एल एल पी / कंपनी, जिसका ऐसा व्यक्ति भागीदार / निदेशक में से एक है, जो बर्खास्त सरकारी कर्मचारी है; या ठेकेदारों की पंजीकृत— सह—सूचीकरण सूची से हटा दिया गया है या अतीत में किसी सरकारी विभाग या सार्वजिनक क्षेत्र उपक्रम या स्थानीय निकाय या स्वायत्त निकाय द्वारा व्यवसाय को प्रतिबंधित / निलंबित कर दिया गया है या विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति पंजीकरण— सह—सूचीकरण के लिए हकदार नहीं होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहा विनिर्दिष्ट अविध के लिए ठेकेदार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी और इस तरह की शास्ति अविध पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो उसके पंजीकरण— सह—सूचीकरण / पूनवैधीकरण के मामले पर विचार किया जा सकता है।
- (viii) हिंदू अविभाजित परिवार, कॉर्पोरेट निकाय, फर्म, सहकारी सोसाइटी, श्रम और निर्माण सोसाइटी का कोई व्यक्ति या फर्म या कंपनी या कारता, जिसे किसी भी सरकारी विभाग (केंद्र या किसी राज्य सरकार) या के साथ व्यापार करने से विवर्जित कर दिया गया हो या सरकारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या कार्पोरेट निकाय या वैधानिक संगठन, जो सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त करता है, पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।
- (ix) किसी व्यक्ति या फर्म का भागीदार या कंपनी या संगठन का निदेशक, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी को नैतिक अधमता के मामले में या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी मामले में विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, वह पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।
- (x) टेकेदारों को निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों का पालन करना होगा।
- (xi) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साझेदारी फर्म बनाते हैं और यदि किसी भी भागीदार के पास किसी भी वर्ग में पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए पात्र बनने हेतु आवश्यक कार्य अनुभव हैं, जिसमें पंजीकरण—सह—सूचीकरण की मांग की गई है, तो उनके मामले को अन्य अधिकथित मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन साझेदारी फर्म के पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए माना जाएगा। इसी तरह, एकमात्र मालिक या नई फर्म के किसी भागीदार द्वारा किए गए कार्यों से प्राप्त पिछले कार्य अनुभव, बशर्ते कि उसने अपनी पिछली फर्म को छोड़ दिया हो या खुद को अलग कर लिया हो, उस साझेदारी फर्म में आवेदक के हिस्से के समान अनुपात में भी विचार किया जाएगा।
- (xii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी भी इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्त्तव्यों में नियोजित किसी भी इंजीनियर या किसी अन्य अधिकारी को सरकारी सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए एक ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में इंजीनियरिंग विभागों में काम करने की अनुमति नहीं है। जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की हो। पंजीकरण—सह—सूचीकरण के बाद भी, यदि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने पूर्वोक्तानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की थी, तो ठेकेदार का नाम पंजीकृत— सह—सूचीकरण ठेकेदारों की सूची से हटा दिया जाएगा।
- (xiii) किसी फर्म का भागीदार या किसी वर्ग में ठेकेदार के रूप में पंजीकृत—सह—सूचीकरण कंपनी का निदेशक किसी भी इंजीनियरिंग विभाग में एच ई डब्ल्यू पी पर किसी अन्य पंजीकृत—सह—सूचीकरण फर्म/कंपनी में भागीदार/निदेशक नहीं हो सकता।

## सभी प्रकार के कार्यों के लिए ठेकेदार का पंजीकरण के लिए वर्ग

क्र.सं.	ठेकेदार के वर्ग	कार्य की राशि	प्रवर्ग
1.	वर्ग - I	25 करोड़ रूपए से अधिक	सभी किस्म के कार्य;',**,***)
2.	वर्ग - II	25 करोड़ रूपए तक	सभी किस्म के कार्य;',**,***)
3.	वर्ग - III	10 करोड़ रूपए तक	सभी किस्म के कार्य;',**,***)
4.	वर्ग - IV	64.01 लाख से 01 करोड़ रूपए	सभी किस्म के कार्य;',**,***)
		तक	
5.	वर्ग - V	25.01 लाख रुपए से	पी डब्ल्यू डी (बी एण्ड आर) विभाग का
		64 लाख रुपए तक	विशेष वर्ग : क. भवन, ख. सड़क तथा
			पुल, ग. विद्युत कार्य तथा घ. बागवानी
			कार्य, सिंचाई तथा जल संसाधन कार्य
			विभाग : क. सिंचाई तथा जल–निकास
			कार्य, ख. अन्य सिविल तथा मैकेनिक
			कार्य। जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागः
			पात्रता के अनुसार सभी जन स्वास्थ्य
			इंजीनियरिंग से सम्बन्धित कार्य।
6.	वर्ग-VI	25 लाख रुपए तक	—स <b>म</b> —

- ं क. भवन, ख. सड़क तथा पुल, ग. विधुत कार्य तथा घ. बागवानी कार्य।
- ं क. सिंचाई तथा मल-निकास कार्य, खं. अन्य सिविल तथा मैकेनिकल कार्य।
- ''' सभी जन स्वास्थ्य इंजीनियंरिंग से सम्बन्धित कार्य।

- 1. वर्ग-V के तहत ठेकेदार विशेष वर्ग में पंजीकृत-सह-सूचीकरण होंगे जो उनके पंजीकरण की राशि तक सम्बन्धित वर्ग में निविदा बोली के लिए पात्र होंगे। ऐसे ठेकेदारों के लिए तकनीकी मूल्यांकन विशेष वर्ग में वैध पंजीकरण सबूत के आधार पर किया जाएगा।
- 2. वर्ग-I, II, III तथा IV के लिए ठेकेदार को बोली दस्तावेज के अनुसार पात्रता मानदण्ड को पूरा करना होगा। वर्ग-I, II, III तथा IV के तहत राशि के लिए सभी निविदाएं बोली दस्तावेजों के पात्रता मानदण्ड को इसके द्वारा पूरा करने हेतु ठेकेदारों के लिए खुली निविदाएं होंगी।
- 3. वर्ग VI (25 लाख तक) के तहत आने वाली सभी निविदाओं के लिए कोई विशेष वर्ग नहीं होगा तथा निविदा सभी ठेकेदारों के लिए खुली होगी।

## 5. शोध-क्षमता प्रमाण पत्र

ठेकेदारों द्वारा समय—समय पर नीचे दिए गए या यथा संशोधित मूल्य का बैंक शोधन—क्षमता प्रमाण पत्र पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा :—

क्र.सं.	ठेकेदार का वर्ग	शोध—क्षमता प्रमाण पत्र का मूल्य (लाख रूपए में)
1.	वर्ग - I	200.00
2.	वर्ग — II	100.00
3.	वर्ग — III	50.00
4.	वर्ग — IV	10.00
5.	वर्ग - V	5.00
6.	वर्ग - VI	शून्य

## 6. पंजीकरण- सह-सूचीकरण शुल्क

एकमुश्त गैर—वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क 5000 / — रूपए (केवल पांच हजार रूपये), या सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित पंजीकरण—सह—सूचीकरण प्रक्रिया के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग कार्य पोर्टल (एच०ई०डब्ल्यू०पी०) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

## 7. वापसी योग्य जमा

पंजीकरण-सह-सूचीकरण के लिए एक मुश्त वापसी योग्य जमा का भुगतान केवल ऑनलाइन किया जाएगा। हालांकि, वापसी योग्य जमा का भुगतान आवेदन की जांच/सत्यापन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण-सह-सूचीकरण के लिए योग्य पाए जाने के बाद निम्न अनुसार किया जाएगा :-

क्र.सं.	क्र.सं. ठेकेदार के वर्ग / प्रवर्ग वापसी योग्य	
1.	<u>वर्ग</u> - I	15.00
2.	वर्ग — II	10.00
3.	वर्ग - III	05.00
4.	वर्ग - IV	00.50
5.	वर्ग - V	00.50
6.	वर्ग - VI	00.50

## पंजीकरण–सह–सूचीकरण और नवीनीकरण की वैधता की अविध

ठेकेदार का पंजीकरण—सह—सूचीकरण 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। हालांकि, ठेकेदार पंजीकरण—सह—सूचीकरण के नवीनीकरण के लिए आगे पांच साल की अवधि के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, जिसके लिए ठेकेदार के पंजीकरण—सह—सूचीकरण की समाप्ति से तीन महीने पहले आवेदन कर सकता है। एजेंसी सभी पात्रता मानदंडों और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जहां से पहले पंजीकृत—सह—सूचीकरण थी, वर्ग के उन्नयन के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकती है।

# 9. इंजीनियरिंग कार्यों के लिए पंजीकरण- सह-सूचीकरण के लिए योग्यता

ठेकेदारों के विभिन्न वर्गों के लिए पंजीकरण-सह-सूचीकरण हेतु पिछले पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में औसत वार्षिक टर्नओवर और पिछले पांच वर्षों में निष्पादित कार्य का न्यूनतम मूल्य निम्नानुसार होगा:--

क्र. सं.	ठेकेदार के वर्ग / प्रवर्ग	पिछले पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में औसत टर्न ओवर (लाख रूपए में)	पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य
1.	वर्ग — I	1000.00	20 करोड़ रूपये का एकल कार्य या प्रत्येक 12.5 करोड़ रूपये के दो कार्य या प्रत्येक 10 करोड़ रूपये के तीन कार्य
2.	वर्ग — II	500.00	10 करोड़ रूपये का एकल कार्य या प्रत्येक 6.25 करोड़ रूपये के दो कार्य या प्रत्येक 5 करोड़ रूपये के तीन कार्य
3.	वर्ग — III	300.00	4 करोड़ रूपये का एकल कार्य या प्रत्येक 2.5 करोड़ रूपये के दो कार्य या प्रत्येक 2 करोड़ रूपये के तीन कार्य
4.	वर्ग — IV	30.00	उपरोक्त खण्ड 4 में यथा वर्णित विशेष प्रवर्ग का 0.65 करोड़ रूपए का एकल कार्य या प्रत्येक 0.40 करोड़ रूपए के दो कार्य या प्रत्येक 0.30 करोड़ रूपए के तीन कार्य
5.	वर्ग-V	10.00	उपरोक्त खण्ड 4 में यथा वर्णित विशेष प्रवर्ग का 0.35 करोड़ रूपए का एकल कार्य या प्रत्येक 0.20 करोड़ रूपए के दो कार्य या प्रत्येक 0.15 करोड़ रूपए के तीन कार्य
6.	वर्ग-VI	शून्य	शून्य

# 10. पंजीकरण-सह-सूचीकरण के लिए ठेकेदारों के आवेदन के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी और समय सीमा

पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए आवेदन करने वाले ठेकेदारों के प्रत्यय—पत्र का सत्यापन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा :-

क्र.सं.	ठेकेदार के वर्ग / प्रवर्ग	अनुमोदन समिति के सदस्यों के पदनाम जो पंजीकरण— सह—सूचीकरण प्रदान करने के लिए सक्षम होगा	सक्षम प्राधिकारी
1.	वर्ग—I तथा वर्ग—II	(i) मुख्य अभियंता (वरिष्ठतम)	अध्यक्ष
		(ii) मुख्य अभियंता (दूसरा वरिष्ठतम)	सदस्य
		(iii) अधीक्षण अभियंता (मुख्य कार्यालय)	सदस्य–सचिव'
2.	वर्ग – III, IV तथा V	(i) सम्बन्धित सर्कल का अधीक्षण अभियंता	अध्यक्ष
		(ii) सम्बन्धित सर्कल के तहत प्रथम वरिष्ठतम कार्यकारी अभियंता	सदस्य
		(iii) सम्बन्धित सर्कल का अधीक्षक	सदस्य–सचिव
3.	वर्ग - VI	(i) सम्बन्धित प्रभाग का कार्यकारी अभियंता	अध्यक्ष / सदस्य
		(ii) अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित एक कार्यकारी अभियंता	अध्यक्ष / सदस्य
		(iii) उप अधीक्षक (सम्बन्धित प्रभाग में कार्यरत)	सदस्य-सचिव

नोट: ' मुख्य अभियंता द्वारा मनोनीत किया जाना है।

# " (i) या तथा (ii) में से वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

एक बार हितबद्ध आवेदक द्वारा अनुरोधित वर्ग में पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन प्रवाह निम्नानुसार होगा :—

# पंजीकरण-सह-सूचीकरण मामलों से निपटने के लिए प्रक्रिया प्रवाह :

स्तर	वर्ग— I तथा वर्ग— II	वर्ग—III, IV तथा V	वर्ग - VI
I		विश्वविद्यालय आदि का सम्बन्धित ार क्षेत्र के तहत किसी विशेष कार्य व	
II	प्रस्तुत आवेदन की सम्बन्धित मण्डल स्तर पर संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित सर्कल में भेजा जाएगा।		तथा सम्बन्धित मण्डल स्तर पर
III	प्रस्तुत आवेदन की सम्बन्धित सर्कल स्तर पर संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा मुख्यालय में भेजा जाएगा।	प्रस्तुत आवेदन की संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित सर्कल स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।	
IV	प्रस्तुत आवेदन की संवीक्षा की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा तथा सम्बन्धित मुख्यालय स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।		_

# 11. पंजीकरण-सह-सूचीकरण आवेदन के निपटान के लिए समय-सीमा

ठेकेदार जिला जिसमें उसका कार्यालय स्थित है, चुनेगा। प्रणाली अनुमोदन समिति के माध्यम से सत्यापन के लिए पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०)/सिंचाई तथा जल संसाधन/जन स्वास्थ्य विभाग तथा उसके सर्कल तथा मण्डल को आवेदन बेतरतीब रूप से भेजेगी।

पंजीकरण–सह–सूचीकरण आवेदन की कार्यवाही करने की अधिकतम समय अविध 36 दिन है और सत्यापन के प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा निम्नानुसार है। यदि प्राधिकारी द्वारा पहले चरण में दी गई समय सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो आवेदन अगले चरण के लिए नोडल डिवीजन के लिए खुला होगा।

पंजीकरण—सह—सूचीकरण प्रक्रिया के लिए सक्षम प्राधिकारी समय अवधि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों का निर्णय / सत्यापन निम्नानुसार करेगा :—

क्र.सं.	दिनों की संख्या	सत्यापन प्राधिकारी	q	र्ग
1.	15 दिन	हरियाणा सरकार, बोर्ड, निगमों आदि के ग्राहक विभाग को उनके अधिकारक्षेत्र के तहत किसी विशेष कार्य के लिए ठेकेदार के प्रदर्शन के सत्यापन तथा अंक (स्कोर) देने के लिए।	I से V	
2.	7 दिन	नोडल डिवीजन		VI
3.	7 दिन	सम्बन्धित सर्कल		
4.	7 दिन	मुख्य अभियंता की मुख्यालय समिति		

# 12. पंजीकरण- सह-सूचीकरण के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

हितबद्ध आवेदक को पंजीकरण-सह-सूचीकरण के समय में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने चाहिए :

## क. अनिवार्य दस्तावेज

1. गठन का प्रमाण — भागीदारी विलेख (साझेदारी फर्म पंजीकरण के मामले में); या समावेशन प्रमाण—पत्र (निजी लिमिटेड कंपनी, सार्वजिनक लिमिटेड कंपनी, सार्वजिनक क्षेत्र उपक्रम, सीमित देयता भागीदारी, पंजीकरण के मामले में); या प्रमाणित गठन करने का कोई भी सबूत (सोसाइटी, न्यास, ए०ओ०पी०, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय पंजीकरण के मामले में)। व्यक्तिगत ठेकेदारों के लिए इस प्रभाव की स्वतः घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है।

- 2. पैन कार्ड
- 3. जी एस टी प्रमाणपत्र
- 4. गैर-काली सूची में डालने का वचन (प्रमाण पत्र कि ठेकेदार को पहले काली-सूची में नहीं डाला गया है)
- 5. अचल संपत्तियों का प्रमाण / स्व-प्रमाणन जिसमें कोई संपत्ति नहीं है
- 6. श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र (वर्ग I, II तथा IV के लिए)
- 7. शोधन-क्षमता प्रमाण पत्र (वर्ग I, II, III, IV तथा V के लिए)
- 8. पिछले तीन वर्षों की आई टी आर (वर्ग I, II, III, IV तथा V के लिए)
- 9. रद्द किया गया चैक / बैंक खाते का प्रमाण
- 10. पते का प्रमाण
- 11. टर्नओवर पर सीए प्रमाणपत्र (वर्ग I, II, III और IV के लिए)
- 12. निष्पादित किए गए कार्य के लिए अनुभव प्रमाण पत्र (वर्ग I, II, III तथा IV)
- 13. वर्ग-V में विशेष प्रवर्ग के तहत किए गए कार्य के समापन को दर्शाने वाला अनुभव प्रमाण-पत्र
- 14. आवेदक स्वयं या उसका कर्मचारी (कम-से-कम एक) यथा लागू (वर्ग V तथा VI के लिए) डिप्लोमा धारक इंजीनियर (सिविल/विधुत/कृषि/बागवानी) होना चाहिए। तदानुसार, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की प्रति सहित आवेदक तथा उसके कर्मचारी का स्वतः घोषणा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
- 15. विद्युत कार्य के लिए पंजीकरण के मामले में आवेदक या आवदेक के कर्मचारी को मुख्य विधुत निरीक्षक, हरियाणा (वर्ग V तथा VI के लिए) से वैध वायरमैन लाईसेंस प्रस्तुत करना चाहिए।
- 16. पूर्ण आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति।

## ख. वैकल्पिक दस्तावेज

- 1. टैन संख्या दस्तावेज
- 2. एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- 3. पिछले तीन वर्षों के लिए फॉर्म 26 ए एस (आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया)
- 4. अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र अपलोड करने के लिए एलएलसीएस (सीमित देयता कंपनी)
- 5. एजेंसी के गठन में परिवर्तन
- 6. मुकदमेबाजी का इतिहास (यदि कोई हो)
- 7. परित्यक्त कार्यों की सूची (यदि कोई हो)
- 8. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

## 13. पंजीकरण–सह–सूचीकरण प्रमाणपत्र

एक बार जब ठेकेदार को पात्र पाया गया और उसने विहित जमा राशि का भुगतान कर दिया, तो वह पोर्टल से पंजीकरण—सह—सूचीकरण प्रमाण—पत्र उत्पन्न कर सकता है। क्यूआर कोड के साथ विहित प्रारूप में पंजीकरण—सह—सूचीकरण प्रमाण—पत्र में एजेंसी का मूल विवरण होगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रमाण पत्र को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। कोई अन्य पंजीकरण— सह—सूचीकरण प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

## 14. पंजीकरण-सह-सूचीकरण प्रमाणपत्र की प्रयोज्यता

पंजीकरण–सह–सूचीकरण प्रमाण पत्र एच०ई०डब्ल्यू०पी० पर हरियाणा के सभी ऑन–बोर्डिड इंजीनियरिंग विभागों पर मान्य होगा।

## 15. अन्य नियम

1. फर्म / कंपनी के गठन या पते में जब कभी कोई भी परिवर्तन होने पर ठेकेदार को डेटा को ऑनलाइन अपडेट करना होगा।

- 2. पंजीकरण—सह—सूचीकरण प्रमाण—पत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या स्वैच्छिक द्वारा अपंजीकृत नहीं किया जाता है।
- 3. यदि ठेकेदार को हरियाणा राज्य या अन्य राज्यों या भारत सरकार के किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम में निविदा के लिए काली—सूची में डाल दिया गया है या वर्जित कर दिया गया है, तो ठेकेदार को अपंजीकृत/असूचीबद्ध किया जाएगा। सम्बन्धित डिवीजन (जहां ऐसी कार्रवाई की जाएगी) एच०ई०डब्ल्यू०पी० पर ऐसी स्थिति को अद्यतन करेगा और सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करेगा।
- 4. यदि ठेकेदार वर्ग को अपग्रेड करना चाहता है, तो वह यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर आवेदन कर सकता है।
- 5. सहकारी श्रम एवं निर्माण सोसाइटीयों के मामले में, पंजीकरण—एवं—भरती के लिए एकमुश्त वापसी योग्य जमा राशि बिंदु संख्या 7 में उल्लिखित राशि उपरोक्त ''पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए वापसी योग्य जमा'' का पचास प्रतिशत होगी।
- 6. अपंजीकृत / असूचीबद्ध सहकारी श्रम एवं निर्माण सोसाइटी के लिए धरोहर राशि जमा (ईएमडी) सहकारिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित नियमों और अधिसूचना (हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 8366—सी-7-2016 / 13189, दिनांक 08-12-2016 के अनुसार) द्वारा शासित होगी।
- 7. प्रत्येक कार्य के पूरा होने के बाद पंजीकृत—सह—सूचीकरण ठेकेदार के कार्य की निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष वर्ग में पंजीकरण—सह—सूचीकरण बनाए रखने के लिए, पंजीकृत— सह—सूचीकरण ठेकेदार को न्यूनतम् प्रारम्भ (थ्रेशोल्ड) स्कोर का प्रदर्शन और रखरखाव करना होगा। गतिशील मूल्यांकन एचईडब्ल्यू पोर्टल पर आबंटित कार्यों के लिए अनुबंध—ए—1 और अन्यत्र आबंटित कार्यों के लिए अनुबंध—ए—2 में परिभाषित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा और न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर 70 प्रतिशत हैं। ठेकेदार के उस वर्ग के लिए प्रारम्भिक सीमा से नीचे आने वाले किसी भी पंजीकृत—सह—सूचीकरण ठेकेदार को ऑटो—अपंजीकृत/असूचीबद्ध किया जाएगा। एच ई डब्ल्यू पी से अपंजीकरण एवं असूचीबद्ध प्रमाणपत्र उत्पन्न होगा।
- 8. उपरोक्त संख्या 15(7) में उल्लिखित कारणों के कारण से कोई भी अपंजीकृत एवं असूचीबद्ध ठेकेदार पुनः पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए पात्र हो सकता है; न्यूनतम प्रारम्भ स्कोर (70 प्रतिशत) प्राप्त करने के मामले में और निम्नलिखित के अध्यधीन:—
  - अपंजीकरण एवं असूचीबद्ध के बाद 90 दिनों की अवधि के भीतर इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वापसीयोग्य जमा को आज तक वापस नहीं लिया गया है।
  - पात्रता के अधीन रहते हुए 90 दिनों के बाद पंजीकरण— सह—सूचीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 9. बोलीदाता, जो एचईडब्ल्यूपी के पास ठेकेदार के रूप में पंजीकृत— सह—सूचीकरण है, किसी भी निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा में ईएमडी छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुबंध—ए—3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार सिस्टम जनरेटेड धरोहर राशि घोषणा फॉर्म अपलोड करेगा। बोलीदाता संबंधित निविदा की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि के दौरान से ईएमडी घोषणा उत्पन्न कर सकता है।

## 16. वापसी योग्य जमा की वापसी

- यदि कोई ठेकेदार पंजीकरण—सह—सूचीकरण प्रमाण—पत्र की वैधता के दौरान स्वेच्छा से पंजीकरण—सह—सूचीकरण का समर्पण करना चाहता है, तो वह एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से एकमुश्त वापसी योग्य जमा की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है।
- 2. कोई भी अपंजीकृत / असूचीबद्ध ठेकेदार अपंजीकरण / असूचीकरण के बाद छह महीने की अवधि के भीतर एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से एकमुश्त वापसी योगय जमा की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है, अन्यथा निधि स्वतः वापस होगी।

## 17. ठेकेदार के दायित्व

प्रत्येक पंजीकृत— सह—सूचीकरण ठेकेदार समय—समय पर यथा संशोधित पंजीकरण— सह—सूचीकरण नियमों और संविदा करार के निबन्धनों और शर्तों और निविदा आमंत्रण सूचना का पालन करने का भी वचन देगा। संविदा करार के अनुसार समय पर और विहित विशिष्टियों और गुणवत्ता के साथ कार्य निष्पादित करने की ठेकेदार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को इन नियमों के तहत सभी दायित्वों को विनिर्दिष्ट समय में और तरीके से पूरा करना चाहिए, ऐसा न करने पर ठेकेदार उसमें यथा उल्लिखित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। कुछ दायित्वों का सारांश नीचे दिया गया है:

- (क) पते में परिवर्तन की सूचना अग्रिम में या पोर्टल पर एक महीने के भीतर बैंकर, आयकर और जीएसटी प्राधिकारियों से पावती सहित दी जानी चाहिए।
- (ख) ठेकेदार को अनैतिक व्यवहार में लिप्त नहीं होना चाहिए और अच्छा आचरण बनाए रखना चाहिए। जहां कहीं भी कोई कार्रवाई या बोली या निविदा पूरी तरह या आंशिक रूप से अवास्तविक या अनुचित प्रतीत होती है, तो ठेकेदार 7 दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करेगा।
- (ग) ठेकेदार उसे दिए गए कार्यों को अनुबंध के निबन्धनों और शर्तों और विशिष्टियों के अनुसार सख्ती से निष्पादित करेगा।
- (घ) हरियाणा के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत निकट सम्बन्धी—ठेकेदार जिसका निकट सम्बन्धी विभाग में अधीक्षक, उप—अधीक्षक, मण्डल लेखाकार, वरिष्ठ लेखा लिपिक या अधीक्षण अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता (दोनों शामिल) के पद के बीच इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में कार्यरत है, यदि संविदा को देने तथा निष्पादन के लिए जिम्मेवार एक सर्कल है जहां निकट सम्बन्धी कार्यरत है, कार्यों के लिए निविदा देने हेतु पात्र नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए निकट सम्बन्धी से अभिप्राय होगा, पत्नी, पति, माता—पिता, बच्चे, भाई, बहन, साला/साली, दामाद/पुत्र वधू तथा ससुर/सास। किसी उल्लंघन के मामले में कार्यवाही इन नियमों के खण्ड—19 के अनुसार की जाएगी।

# 18. अनुशासनिक कार्रवाइयां और अयोग्यताएं

पंजीकरण–सह–सूचीकरण प्राधिकारी अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सशक्त है जैसे कि पंजीकृत–सह–सूचीकरण ठेकेदार को निम्न वर्ग में पदावनत करना, उसका पंजीकरण–एवं–भरती रद्द करना और उसे विवर्जित करना या उसका नाम पंजीकृत– सह–सूचीकरण ठेकेदारों की सूची से अनिश्चित काल के लिए या पंजीकरण–सह–सूचीकरण प्राधिकारी द्वारा यथा निश्चित अविध के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने और व्यक्तिगत रूप में सुनवाई करने के बाद हटाना। पंजीकरण– सह–सूचीकरण प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

## पंजीकृत-एवं- भर्ती ठेकेदारों को सूची से हटाया जाना :

सक्षम प्राधिकारी परिमंडल / मंडल कार्यालयों से विशिष्ट कारणों / टिप्पणियों पर ठेकेदार का नाम पंजीकृत— सह—सूचीकरण ठेकेदार की सूची से हटा सकता है, यदि कोई ठेकेदार—

- एक से अधिक अवसरों पर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रह है या इसे असंतोषजनक रूप से निष्पादित किया है; (या)
- पंजीकरण–एवं– भर्ती की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या पंजीकरण–एवं– भर्ती के समय पर मिथ्या विवरण की जानकारी देता पाया जाता है; (या)
- अनुबंध की किसी भी महत्वपूर्ण शर्त (शर्तों) का लगातार रूप से उल्लंघन करता है ; (या)
- कई मामलों में दोषों के साथ कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार के रूप में साबित हुआ है (या)
- दिवालिया या शोध—अक्षम घोषित किया गया है या घोषित होने की प्रक्रिया में है, या परिसमाप्त कर दिया गया है या भंग कर दिया गया है या विभाजित किया गया है ; (या)
- श्रम विनियमों और नियमों का लगातार उल्लंघन करता है।

सक्षम प्राधिकारी के पास ठेकेदार द्वारा उल्लंघन के लिए वापसी योग्य जमा राशि को जब्त करने का अधिकार आरक्षित है।

## 19. अपील का अधिकार:

कोई आवेदक जो पंजीकरण सह—सूचीकरण प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित है या वर्जन या अपंजीकरण करने से व्यथित है, विभाग के प्राधिकारी को अपील कर सकता है जो या तो पंजीकरण आवेदन अस्वीकृत, प्रवर्ग पदावनत करता है या नीचे दिए गए अनुसार वर्जन/अपंजीकरण करने का आदेश पारित करता है:--

वर्ग	अपील प्राधिकारी
I तथा II	मुख्य अभियन्ता या समकक्ष अधिकारी
III, IV तथा V	वरिष्ठतम मुख्य अभियन्ता
VI	सम्बन्धित सर्कल का अधीक्षण अभियन्ता

# 20. निरसन तथा व्यावृत्ति -

ठेकेदारों के लिए पंजीकरण—सह—सूचीकरण नियम—2024 के लागू होने से पूर्व विधमान हिरयाणा के सभी इंजीनियरिंग विभागों में ठेकेदारों के पंजीकरण / भर्ती / पुनः वैधीकरण के सम्बन्ध में सभी नियम, इसके द्वारा, निरिसत किए जाते है। ऐसे निरसन के होते हुए भी, इन नियमों की अधिसूचना की तिथि के छह मास के भीतर इन नियमों के अधीन सम्बन्धित वर्ग अर्थात IV/V/VI में पंजीकरण—सह—सूचीकरण के लिए आवेदन करना अब तक लागू ''हरियाणा ठेकेदारों का पंजीकरण नियम, 2022'' के अधीन वर्ग IV (एक करोड़ रूपए तक) के अधीन पहले ही पंजीकृत ठेकेदारों के लिए अनिवार्य होगा। ''हरियाणा ठेकेदारों का पंजीकण नियम, 2022'' के अधीन वर्ग—IV के अधीन इन ठेकेदारों का वर्तमान पंजीकरण 6 मास की उक्त अविध के लिए वैध होगा तथा इन ठेकेदारों द्वारा जमा पहले ही जमा पंजीकरण फीस की राशि तथा वापसी योग्य जमा पंजीकरण—एवं— भर्ती के लिए नए आवेदन के विरूद्ध समायोजित की जाएगी। तथािप, पूर्व नियमों / हिदायतों के अधीन अन्य वर्ग (वर्गों) के लिए पहले ही पंजीकृत / भर्ती ठेकेदार पूर्व पंजीकरण / भर्ती की वैधता की अविध के लिए पंजीकृत / भर्ती ठेकेदारों की पदवी का उपभोग करना जारी रखेंगे तथा नए ''हरियाणा पंजीकरण—सह—सूचीकरण नियम—2024'' द्वारा शासित होंगे।

अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) और वास्तुकला विभाग, चंडीगढ़।

## HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS DEPARTMENT (BUILDINGS & ROADS BRANCH)

# Notification

The 13th May, 2025

No. 02/04/2021-2B&R (W).— Registration—cum-Enlistment Rules for Contractors-2024, as per clause 14.2.1 of Haryana PWD Code.

# **Table of Contents**

1.	Preamble	4
	1.1 <b>Title</b>	4
	1.2 Objective	4
2.	Definitions	4
3.	Applicability	6
4.	Classes for registration of Contractor for all types of works: -	8
5.	Solvency Certificate	8
6.	Registration-cum-Enlistment Fees.	9
7.	Refundable Deposit	9
8.	Period of validity of Registration-cum-Enlistment and renewal	9
9.	Qualification for Registration-cum-Enlistment for Engineering works	9
10. enlis	Competent Authority & Timelines for dealing application of Contractors for registration-cumstment	10
11.	Timeline for dealing registration -cum-enlistment applications	11
12.	List of Documents to be uploaded for Registration -cum-Enlistment	11
13.	Registration-cum-Enlistment Certificate	12
16.	Return of Refundable Deposit	14
17.	Contractor's obligations	14
18.	Disciplinary Actions and Disqualification	14
19.	Right of Appeal:	15
deba	applicant who is aggrieved by a decision of the registration-cum-enlistment authority or is aggrieved by arment or deregistration, shall may can appeal to the authority of the department which has either rejected registration application, demoted the category or has passed an order of debarment / deregistration given as er:	15
ANN	NEXURE-A1	17
21.	ANNEXURE-A2	19
ANN	NEXURE-A-3	20

# **Acronyms and Abbreviations**

CA	Chartered Accountant	
CE	Chief Engineer	
EE	Executive Engineer	
EMD	Earnest Money Deposit	
GoI	Government of India	
GoH	Government of Haryana	
GST	Goods and Services Tax	
HEWP	Haryana Engineering Works Portal	
ITR	Income Tax Return	
ISI	Indian Standards Institution	
ICT	Information and Communication Technology	
LLC	Limited Liability Company	
IT	Information Technology	
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises	
NIT	Notice Inviting Tender	
NIC	National Informatics Centre	
PAN	Permanent Account Number	
PBG	Performance Bank Guarantee	
SE	Superintending Engineer	
TAN	Tax Deduction and Collection Account Number	

## 1. Preamble

#### 1.1 Title

These rules shall be called the "Registration-cum-Enlistment Rules" for Contractor-2024, Haryana and shall come into force with effect from the date of notification/approval from the Govt and will replace "Registration Rules for Contractors, 2022 Haryana".

## 1.2 **Objective**

The objective of these is to provide exemption from deposit of Earnest money to the registered-cum-Enlisted contractors as well as to facilitate ease of doing business. The "Haryana Engineering Works Portal(HEWP)" aims to provide a single window for contractors to bring in transparency and ease of access.

Registered-cum-Enlisted contractor will be benefitted with following benefits:

- 1. Registered-cum-Enlisted contractor will be exempted from paying Earnest Money Deposit for tenders processed on Haryana Engineering Works Portal (HEWP).
- 2. One Stop Information Platform for department as well as Contractors.
- 3. Improve Transparency and online facilitation for contractors regarding registration-cum-enlistment, renewal, tenders, allotment of works etc.

### 2. Definitions

- 1. **'Authorized Signatory'** means the bidder's representative/officer vested (explicitly, implicitly, or through conduct) with the powers to commit the authorizing organization to a binding agreement. Also called signing officer/ authority having the Power of Attorney (PoA) from the competent authority of the respective bidding firm.
- 2. **'Competent Authority'** means an authority or officer to whom the relevant administrative or financial powers have been delegated for taking decision in a matter relating to procurement.
- 3. **'Chief Engineer'** means Chief Engineer of Engineering Departments Haryana,
- 4. **'Class'** means the class in which a contractor has been registered-cum-enlisted,
- 5. **'Company'** means the company formed & registered under the Indian Company's Act, 1956,
- 6. **'Corporate body'** means a body incorporated under the Company's Act-1956, Haryana companies Act-1956 or The Haryana Co-operative Societies Act-1984.
- 7. **'Firm'** means "Persons who have entered into partnership with one another are called individually "partners" and collectively "a firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm name" as per Section 2(23)(i), Income-tax Act 1961 from Section 4, Indian Partnership Act,1932.
- 8. **'Departments'** means Engineering Departments (On boarded on HEWP portal), Haryana of Government of Haryana,
- 9. **Earnest Money Deposit or EMD'** means a sum of money required to be submitted with the tender.
- 10. **'Engineer-in-Chief'** means Engineer-in-Chief of Engineering Departments, Haryana,
- 11. **Executive Engineer'** means Executive Engineer of a Division of Engineering Departments, Haryana,
- 12. **'Labour and Construction Society'** means a labour and construction society registered under the Haryana Cooperative Societies Act-1984 for undertaking civil works,
- 13. **'LLP'** means Limited Liability Partnership where liability of the partners is limited to their agreed contribution in the LLP.
- 14. **'PAN'** means Permanent Account Number issued by the Income Tax Authorities, Government of India,
- 15. 'CIN' means Corporate Identification Number is a unique identification number, which is assigned by the ROC (Registrar of Companies) of various states under the MCA (Ministry of Corporate Affairs) Govt of India. Corporate Identity Number is a 21 digits alpha-numeric code issued to companies incorporated within the country on being registered by the ROC situated in different states across India.

- 16. **'DIN'** means Director Identification Number is a unique Identification Number allotted to an individual who is appointed as a director of a company, pursuant to section 153 & 154 of the Companies Act, 2013.
- 17. 'GST' means the Goods and Services Tax number issued by the concerned department of Government of India,
- 18. 'Secretary' means Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary to Government,
- 19. 'State Government' means Government of Haryana,
- 20. **'Superintending Engineer'** means Superintending Engineer of a Circle or Head Office of Engineering Departments, Haryana as the case may be,
- 21. **'Tender'** means an offer submitted by a contractor to the Department in response to a notice inviting tender for executing a work,
- 22. **'Tendering limit'** means the maximum limit up to which a contractor is registered-cum-enlisted is eligible to tender.
- 23. **'Registration-cum-Enlistment of contractor'** means listing of contractors on Haryana Engineering Works Portal (HEWP) to have a ready list of suitable and competent contractors for Engineering Departments works. At the same time, those contractors who are Registered cum-Enlisted will be benefitted with exemption of Earnest Money Deposit (EMD).
- 24. **'Registration -cum-Enlistment Authority'** means respective Competent Authority as specified under these rules who have been vested with powers for dealing and taking decisions with respect to application of contractors for registration-cum-enlistment on Haryana Engineering Works Portal.

## 3. Applicability

It is intended to registered contractors on Haryana Engineering Works Portal (HEWP) to have a ready list of suitable and competent contractors for Engineering Departments works so as to minimize requirement and time for verification of credentials of contractors at the time of tenders. At the same time, those contractors who are registered-cum-enlisted will be benefitted with exemption of Earnest Money Deposit (EMD). Any Indian Individual, Sole Proprietorship Firm, Partnership Firm, Limited Liability Partnership, Public Limited Company or a Private Limited Company may apply for registration-cum-enlistment as a contractor in Engineering Departments, Haryana under these Rules provided the eligibility criteria and other conditions are satisfied. The registered-cum-enlisted contractors will have to abide by all the rules made herein and as amended from time to time during the validity of their registration-cum-enlistment as below.

- (i) Every contractor intending to submit bids for works in engineering departments of Government of Haryana will have to create contractor IDon Haryana Engineering Works Portal "<a href="https://works.haryana.gov.in">https://works.haryana.gov.in</a>". After creation of contractor ID, contractor may also apply for registration-cum-enlistment on the HEWP to take the benefits of exemption of EMD.
- (ii) The Application format will be available on "https://works.haryana.gov.in" after creation login account.
- (iii) There is no fee for creating login account on HEWP by the contractors.
- (iv) Contractors not registered-cum-enlisted on HEWP can also participate in tender, subject to any special requirements of tender document, but they will not get the EMD exemption benefit and contractors shall furnish, as part of the Bid, an EMD for the amount as specified in a particular work.
- (v) Contractor registered-cum-enlisted in lower class on HEWP and technically eligible to participate in higher class of tenders, then the contractor is liable to pay EMD as applicable to not registered-cumenlisted contractor.
- (vi) No employee/outsourced employee connected with directly or indirectly with the Government department, Government Company or statutory organization shall be entitled for Registration-cum-Enlistment. For the purpose of this rule, Government Company includes a co-operative society, labour & construction society or corporate body, which receives financial grants from any government sources on a regular basis.
- (vii) No individual, or a firm/LLP/company having such individual as one of the partners/directors, who is a dismissed government servant; or removed from the registered-cum-enlisted list of contractors; or having business banned/suspended by any government department or Public Sector Undertaking or local body or Autonomous body in the past; or convicted by a court of law shall be entitled for Registration-cum-Enlistment. However, cases where disciplinary action was taken against the

- contractor for a Specified period and such penalty period is already over, his case for registration-cumenlistment /revalidation can be considered.
- (viii) An individual or a firm or a company or Karta of Hindu Undivided Family, corporate body, firm, cooperative society, Labour and Construction Society, who has been debarred for doing business with any government department (Centre or any state government) or government company or co-operative society or corporate body or a statutory organization, which receives financial grants from government, shall not be eligible for registration-cum-enlistment.
- (ix) An individual or a partner of a firm or Director of a company or organization, Managing Director or Chief Executive has been convicted by a court of law in a case of moral turpitude or in a case under Prevention of Corruption Act, shall not be eligible for registration-cum-enlistment.
- (x) The contractors shall abide by the terms and conditions set out in the tender documents.
- (xi) If two or more individuals form a partnership firm and if any of the partners is having required work experience to become eligible for registration-cum-enlistment in any Class in which registration-cum-enlistment is sought, their case shall be considered for registration-cum-enlistment of the partnership firm subject to fulfilment of other laid down criteria. Similarly, the past work experience gained from the works completed by the sole proprietor or any partner of new firm, provided he has left or disassociated himself from his earlier firm shall also be considered in the same proportion of share of the applicant in that partnership firm.
- (xii) No Engineer or any other official employed in Engineering or Administrative duties in any Engineering Department of the Government of India or any State Government is allowed to work in the Engineering Departments as employee of a contractor for a period of one year after his retirement from Government service unless he has obtained prior permission to do so. Even after registration-cum-enlistment, if either the contractor or any of his employees is found to be a person who had not obtained the prior permission as aforesaid, the name of the contractor shall be removed from the list of Registered-cum-Enlisted contractors.
- (xiii) A partner of a firm or a Director of a company Registered-cum-Enlistment a contractor in a Class cannot be a partner/director in any other Registered-cum-Enlisted firm/company on HEWP in any one of the engineering departments.

## 4. Classes for registration of Contractor for all types of works: -

S.No.	Classes of Contractor	Amount of work	Category
1	Class I	More than Rs. 25 Crore	All type of works ( *, **, ***)
2	Class II	Up to Rs. 25 Crore	All type of works (*, **, ***)
3	Class III	Up to Rs. 10 Crore	All type of works (*, **, ***)
4	Class IV	Rs. 64.01 Lacs to Rs. 01 Crore	All type of works ( *, **, ***)
5	Class V	Rs. 25.01 Lacs to Rs. 64 Lacs	Specific Category of
			PWD (B&R) Department: a.
			Building, b. Road & Bridges,
			c. Electrical works & d.
			Horticulture works,
			Irrigation and Water
			Resources Works Department:
			a. Irrigation & Drainage
			Works,b. Other Civil &
			Mechanical Works
			Public Health Engineering
			<u>Department</u> : All Public
			Health Engineering related
			works
			As per eligibility
6	Class VI	Up to Rs. 25 Lacs	-do-

<sup>\*</sup>a. Building, b. Road & Bridges, c. Electrical works & d. Horticulture works

<sup>\*\*</sup>a. Irrigation & Drainage Works,b. Other Civil & Mechanical Works

<sup>\*\*\*</sup>All Public Health Engineering related works

- 1. Contractors under Class V shall be registered-cum-enlisted is specific category, who will be eligible to bid tender in respective category, upto the amount of their registration. For such contractors, the technical evaluation shall be conducted on the basis of valid registration proof in the specific category.
- 2. For Class I,II, III and IV, the contractor will have to meet eligibility criteria as per Bid Document. All tenders for amount under Class I,II, III and IV will be open tenders for contractors hereby meeting the eligibility criteria of Bid Document.
- 3. For tenders falling under Class VI (upto 25 lacs), there will not be any specific category and the tender will be open to all contactors.

## 5. Solvency Certificate

The bank solvency certificate of the value given as under or as revised from time to time, shall have to be submitted by the contractors for registration-cum-enlistment: -

Sr. No.	Classes of Contractor	Value of solvency certificate (Rs. in lacs)
1	Class I	200.00
2	Class II	100.00
3	Class III	50.00
4	Class IV	10.00
5	Class V	5.00
6	Class VI	NIL

## 6. Registration-cum-Enlistment Fees

The onetime non- refundable registration-cum-enlistment fee of Rs. 5000/- (Rupees Five Thousand only), or as amended from time to time by the competent authority, will be submitted online through Haryana Engineering Works Portal (HEWP) for registration-cum-enlistment process.

## 7. Refundable Deposit

The one-time refundable deposit for registration-cum-enlistment will be paid online only. However, the refundable deposit will be paid after the application has been scrutinized/verified and found as eligible for registration-cum-enlistment by the competent authority as under:

S.No.	Classes/Categories of Contractor	Refundable Deposit (Rs. Lacs)
1	Class I	15.00
2	Class II	10.00
3	Class III	05.00
4	Class IV	00.50
5	Class V	00.50
6	Class VI	00.50

## 8. Period of validity of Registration-cum-Enlistment and renewal

Registration-cum-Enlistment of a contractor shall be done for a period of 5 (Five) years. However, contractor is eligible to apply for renewal of registration-cum-enlistment for a further period of Five years, for which contractor may apply three months before the expiry of the registration-cum-enlistment. Agency can apply any time for upgrade of class from where previously registered-cum-enlisted subject to meeting all eligibility criteria and conditions.

## 9. Qualification for Registration-cum-Enlistment for Engineering works

Annual turnover in any one of the last five years and minimum value of work executed in last five years, for registration-cum-enlistment for different classes of contractors, shall be as under: -

S.No.	Classes/Categories of Contractor	Annual turnover in any one of the last five years (Rs. in Lacs)	Minimum value of work executed in last five years
1	Class I	1000.00	Single work of Rs. 20 crores or two works each of Rs. 12.5 crores or three works each of Rs. 10 crores.

2	Class II	500.00	Single work of Rs. 10 crores or two works each of Rs. 6.25 crores or three works each of Rs. 5 crores.
3	Class III	300.00	Single work of Rs. 4 crores or two works each of Rs. 2.5 crores or three works each of Rs. 2 crores.
4	Class IV	30.00	Single work of Rs. 0.65 crores or two works each of Rs. 0.40 crores or three works each of Rs. 0.30 crores of specific category as mentioned in Clause 4 above.
5	Class V	10.00	Single work of Rs. 0.35 crores or two works each of Rs. 0.20 crores or three works each of Rs. 0.15 crores of specific category as mentioned in Clause 4 above.
6	Class VI	NIL	NIL

## 10. Competent Authority & Timelines for dealing application of Contractors for Registration-cum-Enlistment

The credentials of contractors who apply for registration-cum-enlistment shall be got verified by the following committee.

S.No.	Classes/ Categories of Contractor	Designation of members of approval committee which shall be competent to grant registration-cum-enlistment	Competent Authority	
1	Class I & II	(i) Chief Engineer (Senior most)	Chairman	
		(ii) Chief Engineer (Second Senior most)	Member	
		(iii) Superintending Engineer (Head Office)	Member Secretary*	
2	Class III, IV & V	(i) Superintending Engineer of respective Circle	Chairman	
		(ii) 1st senior most Executive Engineers under the concerned Circle	Member	
		(iii) Superintendent of the concerned circle	Member Secretary	
3	Class VI	(i) Executive Engineer of Respective Division	Chairman/Member**	
		(ii) One Executive Engineer to be nominated by Superintending Engineer.	Chairman/Member**	
		(iii) Deputy Superintendent (working in respective Division)	Member Secretary	
	Note: * To be nominated by Engineer-in-Chief.  **Senior among (i) or and (ii) will act as Chairman			

Once the Interested applicant submits his application for registration-cum-enlistment in requested class, the application flow will be as under:-

Process flow for dealing registration-cum-enlistment cases:

Level	Class-I & Class-II	Class-III, IV & V	Class- VI
I	Executive Engineer of the Concerned Department of Haryana Govt/Board/Corporation/ University etc shall verified and gives score of contractor performance for a particular work under their jurisdiction		
II	The Submitted application will be scrutinized, verified at the respective Division level and forwarded to respective circle.	The submitted application will be scrutinized, verified at the respective Division level and forwarded to respective circle.	The Submitted application will be scrutinized, verified and finalized at the respective Division level.
III	The Submitted application will be scrutinized, verified at the respective Circle level and forwarded to Head office.	The Submitted application will be scrutinized, verified and finalized at the respective Circle level.	
IV	The Submitted application will be scrutinized, verified and finalized at the respective Head office level.		

## 11. Timeline for dealing registration -cum-enlistment applications

The contractor will choose the District in which its office is situated. The system will randomly send the application to PWD (B&R)/Irrigation & Water Resources/Public Health Department and its Circle and Division for verification through approval committee.

The Maximum time period to process the registration-cum-enlistment application is 36 days and the defined time limit as under at each level of verification. If no response is given by the authority at first stage within the given time limit, the application will be open for the next stage to the nodal Division. Competent authority for registration-cum-enlistment process shall decide/verify all applications received within the time period as under:

S.No.	No. of Days	Verification Authority	Cla	ass
1	15 Days	Client Department of Haryana Government, Board, Corporations etc. for verification and scoring of contractor performance for a particular work under their jurisdiction.	I to V	1
2	7 Days	Nodal Division		VI
3	7 Days	Concerned Circle		
4	7 Days	Head office Committee of chief Engineer		

## 12. List of Documents to be uploaded for Registration -cum-Enlistment

Interested applicant should upload the Following documents at the time of registration-cum-enlistment:

## A. Mandatory Documents

- 1. Proof of Constitution Partnership deed (in case of the partnership firm registration); or Certificate of Incorporation (in case of Private limited company, public limited company, Public sector undertaking, Limited Liability Partnership, registration); or Any proof substantiating constitution (in the case of society, trust, AOP, Government department, local authority, statutory body registration.). For individual contractors may give a self-declaration to this effect.
- 2. PAN Card
- 3. GST Certificate

- 4. Undertaking of Non-Blacklisting—(Certificate that contractor has not been blacklisted previously)
- 5. Proof of immovable properties/self-certification that doesn't have any property
- 6. Registration certificate of Labour Department (for class I,II & III)
- 7. Solvency Certificate(for class I,II, III, IV & V)
- 8. ITR of last three years (for class I,II, III, IV & V)
- 9. Cancelled Cheque/ Proof of bank account
- 10. Proof of Address
- 11. CA certificate on Turnover (for class I,II, III, IV & V)
- 12. Experience certificate for the work executed (for class I, II, III & IV)
- 13. Experience Certificate showing completion of work executed under specific category in class V
- 14. The applicant himself or his employee (at least one) should be a Diploma Holder Engineer (Civil/Electrical/Agri./Hort.) as applicable(for Class V & VI). Accordingly, self-declaration certificate of applicant and his employee along with copy of Diploma certificate is to be submitted.
- 15. In case of registration for electrical works the applicant or the employee of the applicant should submit valid Wireman License from Chief Electrical Inspector, Haryana (for Class V & VI)
- 16. Signed copy of complete application.

## **B.** Optional Documents

- 1. TAN Number Document
- 2. MSME Registration Certificate (If Applicable)
- 3. Form 26AS for last three years (Provided by Income Tax Department)
- 4. LLCs (Limited Liability Company) to upload last audited balance sheet
- 5. Change of constitution of agency
- 6. Litigation History (If any)
- 7. List of Abandoned works (if any)
- 8. Any Other relevant documents

## 13. Registration-cum-Enlistment Certificate

Once the contractor has been found eligible and have paid prescribed deposit, he can generate Registration-cum-Enlistment Certificate from the portal. The Registration-cum-Enlistment Certificate in prescribed format with QR code will contain the basic details of agency. The certificate can be verified online by scanning QR code. No other registration-cum-enlistment certificate will be issued.

## 14. Applicability of Registration-cum-Enlistment Certificate

The Registration-cum-Enlistment Certificate will be valid on all on-boarded Engineering Departments of Haryana on HEWP.

## 15. Other Rules

- 1. The contractor has to update the data online whenever there is any change in the constitution or address of the firm/company.
- 2. The Registration-cum-Enlistment certificate shall be valid for 5 years unless de-registered/de-listed by Competent Authority or voluntary.
- 3. In case the contractor is blacklisted/de-barred for tendering in any of the department/board/corporation of the State of Haryana or Other States or Govt. of India, contractor shall be de-registered/de-listed. The respective Division (where such action would be taken) will update such status on HEWP and upload related documents.
- 4. In case the contractor wants to upgrade the class, it may apply on portal with necessary documents as required.

- 5. In case of a Co-operative Labour & Construction Societies, one-time refundable deposit for registration-cum-enlistment shall be fifty percent of the amount mentioned in point no. 7 "Refundable deposit for Registration-cum-enlistment" above.
- 6. The earnest money deposit (EMD) for unregistered/unlisted Co-operative Labour & Construction Societies shall be governed by rules and notification (As per GoH Notification No. 8366-C-7-2016/13819 dated 08-12-2016), as amended from time to time, by Department of Co-operation, Government of Haryana
- 7. The performance of the registered-cum-enlisted contractor shall be monitored and evaluated after completion of each work. To maintain registration-cum-enlistment in particular Class, the registeredcum-enlisted contractor shall have to perform and maintain a minimum threshold Score. The dynamic evaluation shall be carried out on the basis of parameters defined in ANNEXURE-A1 for works allotted on HEW Portal and ANNEXURE-A2 for works allotted elsewhere and the minimum threshold Score is 70%. Any registered-cum-enlisted contractor falling below the threshold limit for that class of contractor will be auto de-registered/de-listed. Deregistration-cum-delist certificate will be generated from HEWP.
- 8. Any deregistered/delisted contractor due to reason mentioned in point no. 15(7) above may be eligible for Registration-cum-Enlistment again; in case of achieving minimum threshold Score (70 %) and subject to following:
  - Within a period of 90 days after deregistration-cum-denlistment subject to the condition that refundable deposit has not been withdrawn till date.
  - May apply for Registration-cum-Enlistment after 90 days, subject to eligibility.
- 9. The bidder, who is Registered-cum-Enlisted, as contractor with HEWP, shall upload system generated an Earnest Money declaration form as per format given in ANNEXURE-A-3 to get the benefit of EMD Exemption in Tender during any tender process. Bidder can generate EMD declaration from during start date and end date of respective tender.

#### 16. **Return of Refundable Deposit**

- If any contractor wants to voluntary surrender the registration-cum-enlistment during validity of registration-cum-enlistment certificate, he may apply for return of one-time refundable deposit through HEWP.
- 2. Any deregistered/delisted contractor may apply for return of one-time refundable deposit through HEWP within a period of Six months after deregistration/delistment, otherwise funds will be auto returned.

#### 17. Contractor's obligations

Every registered-cum-enlisted contractor shall undertake to abide by the Registration-cum-Enlistment Rules as amended from time to time and also by the terms and conditions of contract agreement and the Notice Inviting Tender. It shall be the primary responsibility of the contractor to execute work as per contract agreement on time and with prescribed specifications and quality. The contractor should fulfil all obligations under these rules in time and manner as specified, failing which contractor shall be liable for the action as mentioned therein. Some of the obligations are summarized below:

- Intimation of change of address should be given in advance or within one month on the portal along (a) with acknowledgement from Banker, Income Tax and GST authorities.
- The contractor should not indulge in unethical practices and maintain good conduct. The contractor (b) shall provide satisfactory explanation within 7 days wherever any action or bid or tender in whole or part appears unrealistic or unreasonable.
- The contractor shall execute the works awarded to him/her strictly as per the terms and conditions of (c) the contract and specifications.
- (d) Near Relatives Working in Engineering Departments of Haryana -Contractors whose near relatives are working as Superintendent, Deputy Superintendent, Divisional Accountant, Senior Accounts Clerk or Engineering Officers between the post of Superintending Engineer and Junior Engineer (both inclusive) in the concerned Department, shall not be eligible to tender for works if the circle responsible for award and execution of contract is the one where the near relative is working. For this purpose a near relative shall mean wife, husband, parents, children, brothers, sisters, brother/sister in law, son/daughter-in-law, and father-in-law/mother-in-law. In case of any violation action shall be taken as per clause-19 of these rules.

## 18. Disciplinary Actions and Disqualification

Registration-cum-Enlistment authority is empowered to take disciplinary actions such as to demote a registered-cum-enlisted contractor to a lower class, cancel his registration-cum-enlistment and debar him or remove his name from the list of registered-cum-enlisted contractors indefinitely or for a period as decided by registration-cum-enlistment authority after issue of show cause notice and being heard in person. Decision of the Registration-Cum-Enlistment authority shall be final and binding on the contractor.

## Removal from the list of registered-cum-enlisted contractors:

The Competent authority on specific reasons/remarks from Circle/Division offices may remove the name of a contractor from the list of registered-cum-enlisted contractor, if a contractor-

- Has on more than one occasion failed to execute a contract or has executed it unsatisfactorily (or)
- Fails to abide by the conditions of Registration-cum-Enlistment or is found to have given false particulars information at the time of registration (or)
- Persistently violates any important condition (s) of the contract (or)
- Is proved to be responsible for executing the works with defects in a number of cases (or)
- Is declared or in the process of being declared bankrupt or insolvent, or wound up or dissolved or partitioned (or)
- Persistently violates the labour regulations and rules.

Competent Authority reserves the right to forfeit the refundable deposit for violation by the contractor.

## 19. Right of Appeal:

Any applicant who is aggrieved by a decision of the registration-cum-enlistment authority or is aggrieved by debarment or deregistration, shall may can appeal to the authority of the department which has either rejected the registration application, demoted the category or has passed an order of debarment / deregistration given as under:

Class	Appellate Authority	
I & II	Engineer-in-Chief or equivalent officer	
III, IV & V	Senior most Chief Engineer	
VI	Superintending Engineer of respective Circle	

## 20. Repeal and saving –

All rules regarding Registration/Enlistment/Revalidation of contractors in all Engineering Departments of Haryana, existing before coming into force of Registration-cum-Enlistment Rules for constractors-2024 are repealed. Not with standing such repeal, it shall be mandatory for the contractors already registered, under Class IV (upto Rs. 1 Crore) under "Registration Rules of Contractors 2022 Haryana" hitherto in force, to apply for Registration-cum-Enlistment in the relevant class namely IV/V/VI under these Rules within 6 months of the date of notification of these rules. The present registration of these Contractors registered under Class-IV under "Registration Rules for Contractors-2022 Haryana" shall be valid for said period of 6 months and the amount of registration fees and refundable deposit already deposited by these Contractors will be adjusted against the fresh application for Registration-cum-Enlistment. However, the contractors already registered/enlisted for other class(es) under previous rules/instructions shall continue to enjoy the status of registered/enlistment contractors for the period of validity of pervious registration/enlistment and governed by new "Registration-cum-Enlistment Rules-2024 Haryana."

ANURAG AGARWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Work (B&R) & Architecture Department, Chandigarh.

## **ANNEXURE-A1**

# Appraisal Proforma for Contractual agency for works executed through HEWP

Name of Department :
 Agreement amount and no. :

Name of Employer: • Scheduled date of start:

Name of Engineer:
 Scheduled date of completion :

• Engineer Mobile No. :

Name of work:

• Actual date of completion:

Name of agency:

• Amount of completed work:

Employer E mail Id: • Employer Landline No.:

Sr. No.	Parameters	Valuation in marks
1.	Whether agency has submitted performance bank guarantee in time after issuance of letter of acceptance	
2.	Whether agency has submitted the monthly bills as per Contract	0 - 5
3.	Whether agency has established field laboratory as per Contract	0 - 5
4.	Whether unnecessary disputes were raised by the agency during execution of work	0 - 5
5.	Whether the agency maintained the work satisfactorily during defect liability period	0 - 5
6.	Whether the agency completed the work in stipulated time (except for the reasons such as forest clearance, land dispute, shifting of utilities, non-supply of drawings/designs in time, any court stay, land acquisition and natural calamities)	0 - 5
7.	Whether the agency submitted the work programme/updated work programme as per Contract	0 - 5
8.	Whether the agency submitted the invoices of materials as per Contract	0 - 5
9.	Whether the agency maintained the receipt and consumption register of stocks as per Contract	
10.	Whether quality of work and workmanship was satisfactory and maintained quality control register as per norms	
11.	Whether the agency installed/mobilized the machinery as per Contract	0 - 5
12.	Whether the agency deputed key personnel as per Contract	0 - 5
13.	Whether the agency followed labour laws during execution of work	0 - 5
14.	Whether the agency followed environmental laws during execution of work	0-5
15.	Whether the agency provided insurance cover as per Contract	0-5
16.	Whether the agency followed the instructions given by the Engineer in time	0-5
17.	Whether the agency followed safety norms during execution of work	0-5
18.	Whether any inconvenience caused to public during execution of work	0-5
19.	Whether as built drawings submitted by the agency after execution of work	0-5
20.	Whether the agency complied with environmental aspect and cleanliness at site of work; The agency removed all type of debris etc. before completion of work.	0-5
	Total Maximum marks	100

## **ANNEXURE-A2**

## Appraisal Proforma for Contractual agency for works executed through HEWP

Name of Department:

• Agreement amount and no.:

Name of Employer: • Scheduled date of start:

Name of Engineer:
 Scheduled date of completion :

• Engineer Mobile No. :

Name of work :
 Actual date of completion :

Name of agency:

• Amount of completed work:

Employer E mail Id: • Employer Landline No.:

Sr. No.	Parameters	Valuation in marks
1	Whether the agency completed the work in stipulated time (except for the reasons such as forest clearance, land dispute, shifting of utilities, non-supply of drawings/designs in time, any court stay, land acquisition and natural calamities)	0 –30
2	Whether quality of work and workmanship was satisfactory and maintained quality control register as per norms	0 –30
3	Whether the agency maintained the receipt and consumption register of stocks as per Contract	0 –10
4	Whether the agency deputed key personnel as per Contract	0 –10
5	Whether the agency followed the instructions given by the Engineer in time	0 –10
6	Whether the agency followed safety norms during execution of work	0 –10
	Total Maximum marks	100

ANNEXURE-A-3

# **Earnest Money Declaration Form**

	(In case of bidder is a	registered as contractor on Haryan	a Engineering Works portal)
	Tender Name:		
	Tender No	Tender Start Date	Tender End Date
1.	•	n or modified during the period of	rsigned, on behalf of the bidder, (name of the f validity i.e. not less than 120 (one hundred
2.	I, on behalf of the bidder, (Name of Bidder), also accept the fact that in case the bid is withdrawn or moduring the period of its validity or if we fail to sign the contract in case the work is awarded to us or we further submit a performance security before the deadline defined in relevant clause of the tender document, (Name of Bidder) will be debarred for participation in the tendering process in any of Department/Boards/Corporations etc. of the Government of Haryana for a period of Two year from the due date of this work.		
Date:			Bidder Name:
Note:	- ***This is a Computer genera	ted and do not require any signatu	re***

11859—C.S.—H.G.P., Pkl.